न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्र.पत्र 251/RTA 61/2012

दुगुनी राशि दिये जाने बाबत अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करने का निवेदन करते हुए आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 03.08.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

03.08.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:58:08 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला-सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :- 61/2012

जी0सी0एम0एस नम्बर :- 2012/00010

दायर दिनांक :- 13.08.2012

निर्णय दिनांक :- 03.08.2023

उनवान प्रकरण

1. **बद्री पुत्र छोटू मृत्तक के स्थान पर :-**

गोगराज पुत्र बद्री आयु 48 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थी

बनाम्

1. मंदिर मूर्ति भोगवालाजी जरिये पुजारी विशेश्वर आयु 62 वर्ष पुत्र सहदेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. मंदिर मूर्ति बालमुकुन्दजी जरिये पुजारी दामोदर पुत्र रामनिवास आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. पटवारी हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. कमला पत्नी भींवाराम आयु 50 वर्ष
6. बहादुर पुत्र भींवाराम आयु 30 वर्ष
7. सागरमल पुत्र भींवाराम आयु 28 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::—

उपस्थितिः—

1. श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक —प्रार्थी की ओर से ।
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.68 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसके 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी काबिज काश्त एवं आबाद हैं। उक्त वर्णित भूमि में काश्त कार्य करने व आने जाने हेतु एवं कृषि कार्य कर जुताई हेतु ट्रैक्टर ट्रोली आदि का आना जाना (आवागमन) प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 501 की दक्षिणी सीमा के सहारे—सहारे होकर भूमि खसरा नम्बर 351, 355 की पूर्वी सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 356 व 359 की उत्तरी सीमा में होता हुआ उक्त रास्ता पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 361 जो ग्राम पंचायत के नाम हैं तक व पूर्वी तरफ ग्राम लिसाडिया की सडक तक जाता हैं। उक्त रास्ता मौके पर रास्ता 10 फुट चौडा चालू रहता आया हैं। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना निहायत जरूरी हैं। प्रार्थी अपनी भूमि में मय परिवार मय पशुधन पूर्णतया काबिज एवं आबाद है परन्तु उपरोक्त भूमि में से आने जाने हेतु उक्त रास्ता से अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी व इनके परिवारजन आने जाने में अप्रार्थीगण परेशानी पैदा करते [illegible] की भूमि में जाने उक्त लघुतम रास्ता हैं। अन्य कोई वैकल्पिक [illegible] अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को छडिया आदि अवरोध डालकर बन्द कर [illegible] का एवं प्रार्थी के परिवार का व पशुधन का जीवन संकट में पड जावेगा। प्रार्थी एवं इनके परिवारजन ने कई मर्तबा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

01/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जिससे कि रास्ता अनवरत चालू रहे व शातिपूर्ण रूप से आमद रफत हो सके। अभी तक रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हुआ हैं, इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.68 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में आने जाने एवं आवागमन के लिये भूमि खसरा नम्बर 501 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होकर भूमि खसरा नम्बर 351, 355 की पूर्वी सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 356 व 359 की उत्तरी सीमा में होता हुआ उक्त रास्ता पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 361 जो ग्राम पंचायत के नाम है तक व पूर्वी तरफ लिसाडिया की सडक तक जाता हैं, जो 10 फुट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाया जावे एवं रास्ता का अवरूद्ध हटाकर आमद रफत चालू करवायी जावे। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी बद्री के फौत होने पर उसके वारिसान गोगराज की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने प्रार्थना पत्र पत्र कायम मुकाम प्रार्थी मय धारा 5 मियाद अधिनियम का एवं प्रार्थना पत्र अबैटमेनट सेटसाईड अंतर्गत धारा 22 नियम 9 सीपीसी का दिनांक 22.02.2022 को पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को दिनांक 13.04.2022 को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में पूर्व में भू अभिलेख निरीक्षक व [illegible] से जॉच रिपोर्ट चाही गई थी। जो प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद प्रकरण में [illegible] से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र मे जॉच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

चाही गई थी। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्राक 1695 / राजस्व / 2022 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर स्वीकार होने पर खसरा नम्बर 351 के खातेदारान् को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 8 स्थापित किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का लिसाडिया की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 359 पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 501, 351, 356 व 355 में से चाहा गया रास्ता हैं। जो सबसे निकटतम हैं। इसमें कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा हैं। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हैं। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सहमति के प्रयास किये गये। खातेदार से सहमति नहीं हैं। भूमि खसरा नम्बर 501 (मंदिर मूर्ति बालमुकुन्दजी की भूमि) में से 200x3 = 600 वर्ग मीटर, 351 में से 10x3 = 30 वर्ग मीटर, 355 (मंदिर मूर्ति भोग बालाजी की भूमि) में से 20x3 = 60 वर्ग मीटर, 359 में से 130x3 = 390 वर्ग मीटर, इस तरह कुल क्षेत्रफल 1428 वर्गमीटर डीएलसी दर की दुगुनी राशि – 3,71,280/– अक्षरे तीन लाख इक्तर हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र/– नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट के साथ प्रेषित की है। वही पटवारी हल्का लिसाडिया ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 359 में आवागमन के पहुंच हेतु राजस्व ग्राम लिसाडिया के भूमि खसरा नम्बर 501, 351, 356, 355, 359 किता 5 की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट इस प्रकार से हैं कि खसरा नम्बर 501 किरम बारानी–3 की खातेदारी मूर्ति बालमुकुन्दजी, खसरा नम्बर 355 की खातेदारी मूर्ति मंदिर श्री भोग बालाजी, खसरा नम्बर 351 की खातेदारी सागरमल, बहादुर पुत्र भींवाराम वगै0, खसरा नम्बर 356 की खातेदारी ... पुत्र छोटू जाति मीणा तथा खसरा नम्बर 359 की खातेदारी भोपाल पुत्र सुरजा जाति मीणा वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

07/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात खसरा नम्बर 359 पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। खसरा नम्बर 359 में आवागमन का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हैं। इसमें आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 501, 351, 356, 355 में से रास्ता चाहा गया है। जो सबसे निकटतम है। खसरा नम्बर 359 में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, वांछित रास्ते की अत्यातिक आवश्यकता हैं। खसरा नम्बर 501, 351, 355 के खातेदार राजीनामें से रास्ता देने हेतु सहमत नहीं हैं। खसरा नम्बर 359 में बने आवास तक पहुंच हेतु लघुतम/निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 501, 351, 355, 356 से होकर जाता हैं। जिसका क्षेत्रफल निम्नानुसार है। खसरा नम्बर 359 में 130x3 = 390 तथा खसरा नम्बर 501 में 200x3 = 600 खसरा नम्बर 351 में, 355 की खातेदारी मंदिर मूर्ति भोगबालाजी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। दावा में खसरा नम्बर 351 में 10x3 = 30 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 355 में 20x3 = 60 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 356 में 116x3 = 348 वर्ग मीटर कुल रकबा 390+1038 = 1428 रास्ते के उपयोग में आयेगा। जिसकी बाजार दर निम्नानुसार है:–

खसरा नम्बर	प्रस्तावित रास्ते में काम में आने वाला रकबा	बाजार दर(13 लाख प्रति हेक्टर)
501	200x3=600	78000 रु
351	10x3=30	3900 रु
355	20x3=60	1800 रु
359	130x3=390	50700 रु
कुल योग	कुल रकबा– 1428	कुल राशि– =140400

उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते के रूप मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है। [illegible] ल प्रार्थी ने उक्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से [illegible] अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी ने निवेदन करते हुए प्रकरण में सीधे ही बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

251-(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया। प्रकरण में खातेदारान् गोगराज पुत्र बद्रीराम, पप्पूराम पुत्र बद्रीराम, प्रभूदयाल पुत्र बद्रीराम, जगदीश पुत्र गिरधारी, मालाराम पुत्र मूंगाराम, सुगनाराम पुत्र मूलाराम, मदन पुत्र मूंगाराम समस्त जाति मीणा निवासीगण लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि भूमि खसरा नम्बर 359 में से जा रहे रास्ते की हम खातेदारान् को डी.एल.सी. रेट के रूपयों की आवश्यकता नहीं होने से उक्त डी.एल.सी. रेट को घटाया जाकर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्त्ता आवेदकगणों को सुना जाकर उक्त खातेदारान् के हिस्से में से खसरा नम्बर 359 में रास्ते के काम आने वाली भूमि का रकबा इनकी खातेदारी भूमि से ही कम किये जाने तथा इन्हें खसरा नम्बर 359 में से जा रहे रास्ते की डी.एल.सी. रेट के रूपयों का भुगतान नहीं किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी मे आवागमन हेतु काम आने वाली प्रस्तावित भूमी की वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों से दुगुनी राशि दिये जाने बाबत अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करने का निवेदन अपनी बहस में किया हैं।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का लिसाड़िया, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 359 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बर में आवागमन हेतु एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 501, 351, 355 व 356 में से होना प्रकट होता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय को नहीं बताया गया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) मे रास्ते के सम्बन्ध मे किये गये प्रावधानो के सम्बन्ध मे एव राज्य सरकार की किसानो को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों / साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। जिसके तहत प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 10 फुट की चौडाई मे वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध मे 10 फुट चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के कृषि जोत के लिए भी उपयुक्त होने से तथा प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराने पर वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थी से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरो की सिंचित दरो की दुगुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

07/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दरो से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

उपखण्ड अधिकारी ... (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 359 में आने जाने के लिये 10 फुट चौडाई का रास्ता भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 501 (मंदिर मूर्ति बालमुकुन्दजी की भूमि) में से 200X3 = 600 वर्ग मीटर, 351 में से 10x3 = 30 वर्ग मीटर, 355 (मंदिर मूर्ति भोग बालाजी की भूमि) में से 20x3 = 60 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 359 में से 130x3 = 390 वर्गमीटर इस तरह कुल क्षेत्रफल 1080 वर्गमीटर में से भूमि खसरा नम्बर 359 के उक्तांकित खातेदारान् के द्वारा डी.एल.सी. दरों से राशि नहीं चाहने पर कुल क्षैत्रफल 1080 — 390 = 690 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर से राशि 83,700/— रूपये की दुगुनी राशि — 1,67,400/— अक्षरे एक लाख सड़सठ हजार चार सौ रूपये मात्र/— नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट तक 10 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली ... बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त ... (रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

07/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थी को संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमि कुल 1080 वर्गमीटर की वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दर 13,00,000/- रूपये प्रति हैक्टर की दरों से प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाले खसरा नम्बर 501 में रकबा 600 मीटर राशि 78000/- रूपयें, खसरा नम्बर 351 में रकबा 30 मीटर राशि 3900/- रूपयें, खसरा नम्बर 355 में रकबा 60 मीटर राशि 7800/- रूपयें, जिसका कुल रकबा 690 वर्गमीटर की कुल देय राशि 83700/- रूपये का दो गुणा राशि 1,67,400/- रूपये अर्थात अक्षरे एक लाख सड़सठ हजार चार सौ रूपये मात्र/- कुल निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को व मंदिर मूर्ति श्री भोग बालाजी व मंदिर मूर्ति बाल मुकुन्दजी के नाम दर्ज रहने वाली भूमियों का भुगतान देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

03/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:08 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)